उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-3

संख्या- 17/2017/1936/37-3-2017-3(29)/2009टी0सी0 (आजमगढ़)

लखनऊः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

डॉ0 के0डी0 प्रसाद, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, तरवॉ, आजमगढ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आजमगढ मण्डल, आजमगढ़ में पशुधन प्रसार अधिकारियों के विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन/भर्ती के लिए चयन मण्डल के सदस्य के रूप में 34 पदों के सापेक्ष 41 पदों पर चयन की संस्तुति करने एवं फर्जी खेलकूद प्रमाण-पत्रों के आधार पर अंकों का लाभ 04 अभ्यर्थियों को अनियमित रूप से प्रदान करने आदि आरोपों के लिए शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-297/37-1-2017-3(29)/2009, दिनॉक 20-01-2010 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए, निदेशक, पशुपालन विभाग को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जाँच अधिकारी की जाँच आख्या उनके पत्र संख्या-128/स्था0-3/53बी(626), दिनॉक 22-02-2013 द्वारा शासन को प्राप्त हुई। जाँच अधिकारी द्वारा जॉच में डा0 के0डी0 प्रसाद पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध पाया गया। अतः सिद्ध पाये गये आरोपों के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-1643/37-1-2017-3(29)/2009टी0सी0, दिनॉक 06-06-2013 द्वारा डा0 प्रसाद का अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनॉक 11-07-2013 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ।

3- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, सिद्ध पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-518/37-3-2016-3(29)/2009टी0सी0(आजमगढ़), दिनॉक 13-07-2016 द्वारा डा0 के0डी0 प्रसाद, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, तरवॉ, आजमगढ, सम्प्रति सेवानिवृत्त की एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकने का दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये।

4- शासन के कार्यालय-आदेश दिनांक 13-07-2016 के विरुद्ध डा0 प्रसाद का प्रत्यावेदन दिनांक 04-06-2017 शासन को प्राप्त हुआ। डा0 प्रसाद द्वारा अपने प्रत्यावेदन में शासन के उक्त कार्यालय-आदेश द्वारा दिये गये दण्ड को इस आधार पर निरस्त करने का अनुरोध किया गया है कि आजमगढ मण्डल में पशुधन प्रसार अधिकारियों के विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन/भर्ती के लिए गठित चयन समिति के सदस्य के रूप में उन्हें केवल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने हेतु दिनांक 27-06-2006 को आमंत्रित किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 28, 29 एवं 30 जून, 2006 को साक्षात्कार लेकर पृथक से अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किये गये। साक्षात्कार से पूर्व ही अभ्यर्थियों को उनके शैक्षिक योग्यता एवं खेलकूद प्रमाण-पत्रों के आधार पर उनकी स्क्रूटनी (सूक्ष्म परीक्षण) की जा चुकी थी तथा जो अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता एवं खेल-कूद प्रमाण-पत्रों के आधार पर उपयुक्त पाये गये थे, उन्ही को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था। डा0 प्रसाद के प्रत्यावेदन दिनांक 04-06-2017 पर सम्यक् परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि शासन के कार्यालय-आदेश दिनांक 13-07-2016 द्वारा दिये गये दण्ड पर पुनर्विचार/निरस्त करने का कोई पर्याप्त आधार/औचित्य नही है। इस प्रकार डा0 प्रसाद द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन, दिनांक 04-06-2017 को बलहीन पाये जाने के कारण शासन द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

5- अतः एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय डा0 के0डी0 प्रसाद, तत्कालीन पशु चिकित्सा अधिकारी, तरवॉं, आजमगढ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आजमगढ मण्डल, आजमगढ़ के प्रत्यावेदन, दिनांक 04-06-2017 को बलहीन (औचित्यहीन) पाये जाने के कारण निरस्त किये जाने की अनुमति/आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 17/2017/1936 (1)/37-3-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।

5- डा0 के0डी0 प्रसाद, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, तरवॉं, आजमगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- पशुधन अनुभाग-1,

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।